अध्याय 2
पहल (डीबीटीएल) योजना

2.1 एलपीजी योजना के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ का आरंभ

2011 में, ओएमसीज के लिए कम वसूली तथा सब्सिडी पर प्रभाव डालने वाले घरेलु सब्सिडी युक्त सिलेंडर का वाणिज्यिक क्षेत्र में विचलन की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए तरीके तथा साधन सुझाने के लिए एक कार्य बल गठित किया गया था। कार्यबल के विचारार्थ विषय में आधार संख्या के आधार पर ग्राहको को सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा की पहचान शामिल थी। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट (जुलाई 2011) में निम्नलिखित तीन चरणों में एलपीजी सब्सिडी के कार्यान्वयन की सिफारिश की थी:

चरण I: सब्सिडी युक्त सिलेंडरों की खपत पर सीमा लगाना

चरण II: आधार समर्थ बैंक खाते में ग्राहकों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

चरण III: केवल अपेक्षित लाभार्थियों तक सब्सिडी सीमित करने के लिए लक्ष्य विभाजित ग्राहक

कुशल सब्सिडी प्रबंध प्राप्त करने के लिए, एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (डीबीटीएल) को नौ सिलेंडरों की सीमा के साथ भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था (1 जून 2013)। इस सीमा को फरवरी 2014 में 11 तथा 2014-15 के लिए 12 तक संशोधित किया गया था। योजना ने पात्र उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण करके ओएमसीज की घरेलु एलपीजी वितरण प्रणाली में चोरी तथा विचलन रोकना अभिकल्पित किया था। योजना ने एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा घरेलु सिलेंडर के लिए बाजार कीमत के भुगतान तथा सब्सिडी राशि का उपभोक्ता के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण की अभिकल्पना की। योजना के अनुसार घरेलु एलपीजी उपभोक्ताओं को घरेलु एलपीजी सिलेंडरो पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए उनकी आधार संख्या तथा बैंक खाता संख्या को उनके एलपीजी उपभोक्ता आईडी के

साथ जोड़ना अपेक्षित था। उपभोक्ता, जिन्होंने उनके बैंक खाता तथा आधार संख्या को उनके एलपीजी ग्राहक आईडी के साथ जोड़ दिया था, को कैश ट्रांसफर कंम्पलाइंट (सीटीसी) का नाम दिया गया तथा वे ₹ 435/- के एकमुश्त स्थायी अग्रिम (पीए) को प्राप्त करने के लिए पात्र थे जो उन्हे पहले सिलेंडर की बाजार कीमत तथा बाद में रिफिल की आपूर्ति पर लागू सब्सिडी को चुकाने में समर्थ बनाता है। योजना देश के 291 जिलों में कार्यान्वित की गई थी।

2.2 डीबीटीएल योजना का स्थगन

डीबीटीएल योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए एक आधार संख्या होना पहली आवश्यकता थी। इसके कारण उपभोक्ता शिकायते हुई, विशेष रूप से उन जिलों में जहाँ आधार की समझ कम थी। डीबीटीएल योजना को मार्च 2014 में स्थगित किया गया था तथा योजना की कार्यपद्धति की समीक्षा के लिए श्री एस.जी.धांडे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन (मार्च 2014) किया गया था। बाद में, 15 नवम्बर 2014 को, घरेलु एलपीजी पर सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ को ''प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना'' (पहल (डीबीटीएल) योजना) के अन्तर्गत पुन: आरंभ किया गया था।

2.3 पहल (डीबीटीएल) योजना का आरंभ

पहल (डीबीटीएल) योजना को 15 नवम्बर 2014 को 54 जिलों में आरंभ किया गया था (पहला चरण) तथा बाद में 1 जनवरी 2015 को शेष 622[1] जिलों में विस्तारित किया गया (दूसरा चरण)। डीबीटीएल योजना के विपरीत, एक उपभोक्ता के लिए पहल योजना के अन्तर्गत सब्सिडी लाभ उठाने के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं थी। एक एलपीजी उपभोक्ता के पास उसके बैंक खाते को उसकी एलपीजी उपभोक्ता आईडी के साथ आधार संख्या प्रस्तुत किए बिना जोड़ने तथा उस बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकार था।

पहल (डीबीटीएल) योजना तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा इसके एलपीजी वितरकों जो उपभोक्ताओं के साथ इंटरफेस बनाते है, के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की

[1] योजना देश में सभी जिलों में 1 जनवरी 2015 को विस्तारित की गई थी। परन्तु ओएमसीज पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पूर्व अनुमति के साथ कनेक्टिविटी विषयों इत्यादि जैसे कारणों के लिए योजना से कुछ जिलों/जिलों के भाग या वितरकों को छोड़ने के लिए अधिकृत थे।

जा रही है। वितरक, वितरण अधिकार के लिए निश्चित किए गए क्षेत्र के लिए, एक विशिष्ट ग्राहक डाटाबेस (एक विशिष्ट एलपीजी आईडी, नाम, पता, जन्मतिथि, बैंक खाता वितरण तथा यदि उपलब्ध हो तो आधार संख्या सहित घरेलु एलपीजी उपभोक्ता के ब्यौरे निहित) बनाते है तथा समय-समय पर इसका ओएमसीज द्वारा बनाए गए केन्द्रीय तंत्र के साथ संकलन करते है। उपभोक्ता द्वारा एक निवेदन की प्रतिक्रिया में वितरक बाजार कीमत पर एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति करते है तथा ग्राहक द्वारा प्राप्ति का प्रमाण (लेन-देन की पूर्णता दर्शाने वाला) केन्द्रीय तंत्र में अपलोड़ करते हैं। उपभोक्ता को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए कार्रवाई ओएमसी (केन्द्रीय तंत्र) द्वारा आरंभ की जाती है जो प्रायोजक बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) को सूचना भेजती है और आगे बढते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) एलपीजी उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा करने के लिए भुगतान प्लेटफार्म को सक्षम बनाता है। उपभोक्ता को सब्सिडी हस्तांतरण से संबंधित सूचना ओएमसीज के केन्द्रीय सिस्टम द्वारा प्राप्त हो जाती है जो तब प्रतिपूर्ति के लिए सरकार के पास एक सब्सिडी दावे को वरीयता देता है।

2.4 पहल (डीबीटीएल) योजना की विशेषताएं

- पहल (डीबीटीएल) योजना के उद्देश्य हैं:
  - क. विपथन के लिए प्रोत्साहन को हटाना
  - ख. जाली/नकली कनेक्शनों को अलग करना
  - ग. पात्रता की सुरक्षा तथा उपभोक्ता को सब्सिडी सुनिश्चित करना
  - घ. वास्तविक उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर की उपलब्ध/आपूर्ति में सुधार
  - ङ. सब्सिडी में स्व-चयन की अनुमति
- योजना के अन्तर्गत सब्सिडी की प्राप्ति के लिए शर्तें निम्नलिखित हैं:

  उपभोक्ता, जो योजना में शामिल होने के इच्छुक है, को एलपीजी सब्सिडी राशि को प्राप्त करने के लिए कैश ट्रांसफर कंपलाइंट (सीटीसी) होना होगा तथा उसके पास दो विकल्प थे:

- **विकल्प I** (प्राथमिक):

  जहॉ भी आधार संख्या उपलब्ध है; यह नकद हस्तांतरण का माध्यम बना रहेगा। इसलिए, एक एलपीजी उपभोक्ता, जिसके पास आधार संख्या है, को उसके बैंक खाता संख्या तथा एलपीजी उपभोक्ता संख्या से जोड़ना है। इन ग्राहकों का एसीटीसी (आधार कैश ट्रांसफर कम्पलाइंट) ग्राहकों के रूप में उल्लेख किया जाएगा।

- **विकल्प II** (गौण):

  यदि एक एलपीजी उपभोक्ता के पास आधार संख्या नहीं है, तब वह आधार संख्या के प्रयोग के बिना प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी उसके बैंक खाते में प्राप्त कर सकता/सकती है। इन ग्राहकों का बीसीटीसी (बैंक कैश ट्रांसफर कंपलाइंट) उपभोक्ता के रूप में उल्लेख किया जाएगा।

- घरेलु एलपीजी ग्राहक, जो पहले ही उनके आधार संख्या तथा बैंक संख्या को एलपीजी डाटाबेस में जोड़कर पहली डीबीटीएल योजना में जुड़ चुके है, को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए नई कार्रवाई करने की आवश्यकता नही होगी क्योंकि सब्सिडी पिछली प्रविष्टि के आधार पर आधार संख्या के द्वारा उनके बैंक खाते में हस्तांतरित हो जायेगी।
- उन जिलों में जहाँ योजना आरंभ की जा चुकी है, घरेलु एलपीजी सिलेंडर योजना के आरंभ की तिथि से बाजार निर्धारित कीमत (यानी कीमत जिसमें सब्सिडी शामिल नहीं है) पर बेचे जाएंगे।
- एलपीजी पर लागू कुल नकद ('कुल नकद' आपूर्ति की तिथि पर लागू बाजार निर्धारित कीमत तथा सब्सिडी युक्त खुदरा विक्रय कीमत के बीच का अन्तर है) तब पूरे वर्ष के लिए 12 सिलेंडरों की सीमा तक आपूर्ति किए गए प्रत्येक सब्सिडीयुक्त सिलेंडर के लिए सीटीसी उपभोक्ता को उसकी पात्रता के अनुसार बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- गैर-सीटीसी उपभोक्ता को सीटीसी बनने के लिए पहल (डीबीटीएल) योजना के आंरभ की तिथि से 3 महीने की छूट अवधि (पहले चरण के लिए 14 फरवरी 2015 तक

तथा दूसरे चरण के लिए 31 मार्च 2015 तक) की अनुमति थी। इस अवधि के दौरान, ऐसे उपभोक्ता को उनके पात्र सिलेंडर तब के लागू सब्सिडीयुक्त खुदरा विक्रय कीमत पर प्राप्त होंगे।

- तीन महीनों की छूट अवधि के बाद, सभी गैर-सीटीसी एलपीजी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त तीन महीने की पार्किंग अवधि (यानी, पहले चरण के लिए 14 मई 2015 तक तथा दूसरे चरण के लिए 30 जून 2015 तक) प्राप्त होगी, जिस समय के दौरान, सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए विक्रय बाजार निर्धारित कीमत पर होगा। इस अवधि के दौरान, सीटीसी उपभोक्ताओं को उनकी सब्सिडी उनके बैंक में मिलेगी तथा गैर-सीटीसी ग्राहकों के लेन-देनों से संबंधित सब्सिडी को संबंधित ओएमसी के साथ रोका जाएगा। इस रोकी गई सब्सिडी राशि को ऐसे एलपीजी उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर दिया जाएगा जो इस पार्किंग अवधि के दौरान किसी समय सीटीसी बने थे। ऐसे एलपीजी उपभोक्ताओं से संबंधित रोकी गई सब्सिडी राशि, जो पार्किंग अवधि के दौरान सीटीसी नहीं बने, समाप्त हो जाएगी तथा उनको रिफिल सिलेंडरों का विक्रय बाजार निर्धारित कीमत पर जारी रहेगा उस समय तक जब तक उपभोक्ता सीटीसी दर्जा प्राप्त करता है।
- एकमुश्त स्थायी अग्रिम (पीए) उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा जो पहले रिफिल की बुकिंग के पश्चात योजना में सम्मिलित हो गया था। अग्रिम समय-समय पर सूचित किया जाएगा, तथा जैसे ही योजना से जुड़ने के बाद उपभोक्ता, एक सिलेंडर के लिए पहली बुकिंग करता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता के पास पहले एलपीजी सिलेंडर के लिए भुगतान के लिए आवश्यक पर्याप्त धन है, चुका दिया जाएगा। 15 नवम्बर 2014 से 31 मार्च 2015 अवधि के लिए पीए राशि ₹ 568 है। उसके बाद, पीए राशि प्रत्येक महीने सशोधित की जाती है तथा इसमें क्षेत्र[1] के अनुसार भिन्नता आती है।
- एलपीजी उपभोक्ता, जिन्हें पिछले स्केल पर स्थायी अग्रिम प्रदान किया गया था, स्थायी अग्रिम में संशोधन के आधार पर भिन्न भुगतान के लिए पात्र नही होगा।

[1] कीमत में, आपूर्ति बिन्दू से दूरी की दृष्टि में शामिल परिवहन शुल्क पर निर्भर करते हुए विक्रय स्थल तथा राज्य के साथ-साथ इस विशिष्ट विक्रय स्थल पर लागू स्थानीय करों के अनुसार अंतर होता है।

2.5 योजना की भुगतान प्रक्रिया

योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता को अग्रिम तथा सब्सिडी के हस्तांतरण की प्रक्रिया निम्न प्रवाह आरेख में दर्शायी गई है:

Figure-1: Transfer of one time cash advance (Permanent Advance)

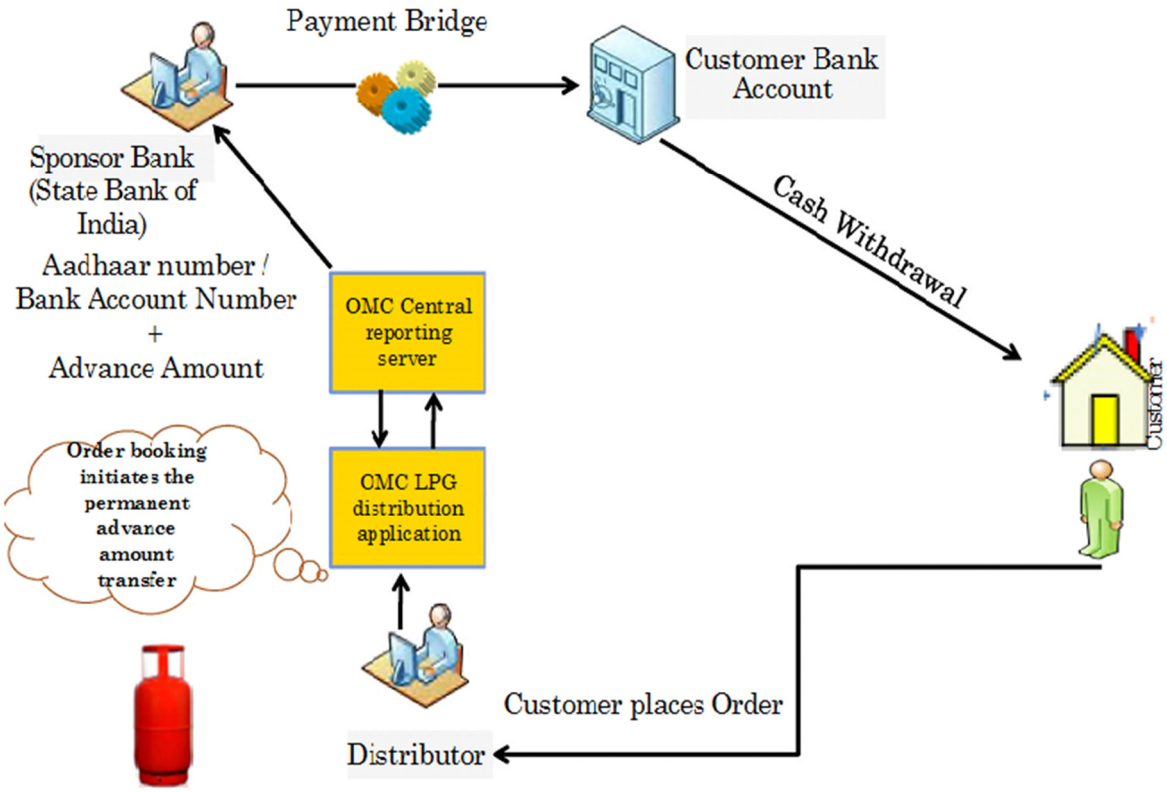

Figure-2: Transfer of Refill Subsidy

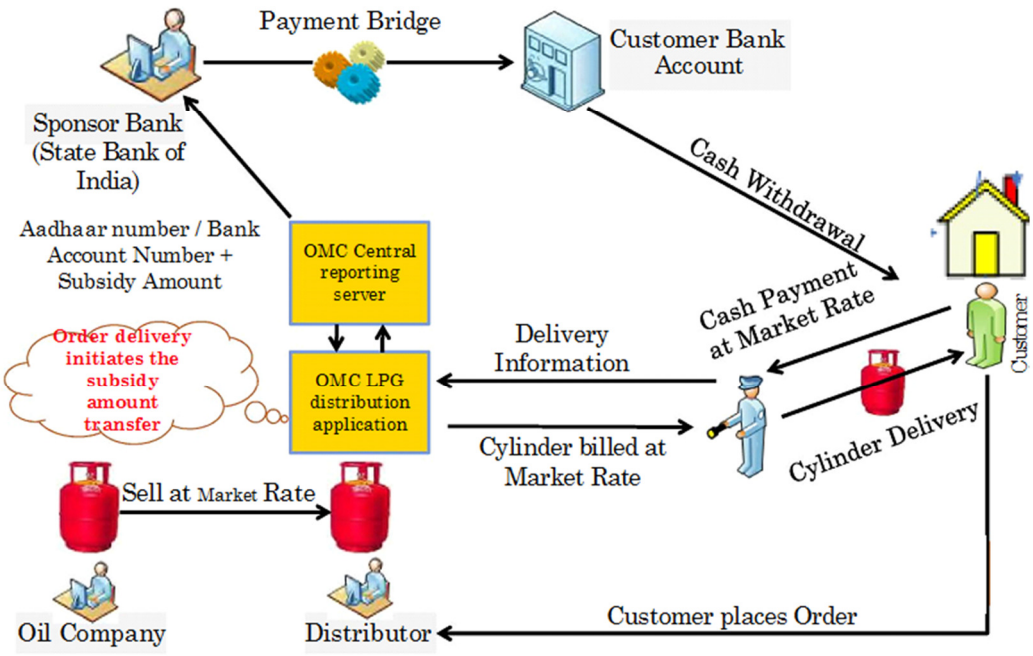

2.6 ओएमसीज के पहल (डीबीटीएल) दावों के समाधान के लिए प्रक्रिया

योजना के आरंभ के समय ओएमसीज को सभी सीटीसी उपभोक्ताओं के संबंध में पीए दावे की अनुमति दी गई थी, परन्तु बाद में, पीए दावे को अतिरिक्त उपभोक्ता, जो योजना से जुड़े थे, को केवल पीए राशि के लिए संवितरण के बाद ही किया जाना था। उसी प्रकार, ओएमसीज को भारत सरकार के पास, त्रैमासिक आधार पर, एलपीजी उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सफलतापूर्वक हस्तांतरित सब्सिडी राशि के प्रति दावे दायर करने अपेक्षित थे। यद्यपि, ऐसे दावे दायर करते समय ओएमसीज, उपभोक्ताओं को हस्तांतरित सम्पूर्ण सब्सिडी राशि के दावे के लिए पात्र नहीं हैं। ओएमसी केवल क्षतिपूरित न की गई कीमत[1] घटाने के बाद ही सब्सिडी राशि के दावे के पात्र थी। इसके अलावा, ओएमसीज त्रैमासिक आधार पर ₹ 50 लाख प्रति जिले तक सीमित परियोजना प्रबंधन व्यय[2] के दावे की पात्र हैं।

[1] क्षतिपूरित न की गई कीमते, आयात हानि/गैर-संशोधित हॉनि इत्यादि जैसे लागत तत्व है जो लागत मूल्य निर्धारण की कार्य-प्रणाली में शामिल नहीं है, जैसा योजना के साथ संलग्न अनुलग्नक में उल्लिखित है।

[2] परियोजना प्रबंधन व्यय में प्रविष्टि व्यय, सॉफ्टवेयर शुल्कअपग्रेड/, फॉर्मय पर व्यप्रविष्टि/एसएमएस/, आधार निर्माण शिविर इत्यादि शामिल है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (एमओपीएनजी/मंत्रालय) पत्र दिनांक 7 अगस्त 2015, वर्ष 2015-16 के लिए पहल (डीबीटीएल) सब्सिडी के लिए समाधान तंत्र आरंभ किया, जिसमें ओएमसीज को नकद सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 'बफर खाता' नामक एक अलग बैंक खाता खोलना अपेक्षित था। तब ओएमसीज को अखिल भारत आधार पर बनाई गई डीबीटीएल बिक्रियों के लेखापरीक्षित विवरण पेट्रोलियम योजना तथा विश्लेषण सैल (पीपीएसी) को जमा कराने थे जो ओएमसीज द्वारा बताए गए बिक्री आंकड़ों की संवीक्षा करेगा तथा मंत्रालय को भेज देगा। एमओपीएनजी प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों के साथ तैयार अपने मंत्रालय की एकीकृत वित्त डिवीजन (आईएफडी) को भेजेगा, जो जाँच के बाद प्रत्येक महीने के लिए लागू नकद सब्सिडी के भुगतान के लिए इसकी सहमति देगा। एमओपीएनजी प्रत्येक ओएमसी के बफर खाते में राशियों का भुगतान करेगा। प्रत्येक ओएमसी को अवधि के दौरान पहल योजना के अन्तर्गत बेची गई एलपीजी मात्रा के आधार पर बफर खाते से सब्सिडी राशि को निकालने की अनुमति होगी। डीबीडीएल/पहल योजना के अन्तर्गत एमओपीएनजी को ओएमसीज द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों की स्थिति तथा बफर खाते में जमा करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा स्वीकृत सब्सिडी राशि अनुलग्नक I में दर्शायी गई है।

अध्याय 10 के उत्तर में, एमओपीएनजी ने बताया (जून 2016) कि स्थायी अग्रिम 1 अप्रैल 2016 से बंद किया जा चुका है। व्यय विभाग ने बफर खाते में उपलब्ध अधिशेष से योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में ओएमसीज द्वारा चुकाए गए ₹ 6702.96 करोड़ के एकमुश्त नकद प्रोत्साहन (स्थायी अग्रिम) के समाधान को स्वीकृत किया।

2.7 पहल (डीबीटीएल) योजना के अन्तर्गत कवरेज

पहल (डीबीटीएल) योजना सभी घरेलु एलपीजी उपभोक्ताओं को कवर करने का अभिप्राय रखती है जो 31 अक्टूबर 2015 को 16,781 वितरकों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले 16.17 करोड़ तक है। इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के पास 7.82 करोड़ उपभोक्ताओं तथा 8,343 वितरकों के साथ बाजार शेयर का लगभग आधा है। अन्य दो ओएमसी, दोनों के मध्य लगभग समान रूप से विभाजित बाजार शेयर के साथ शेष

उपभोक्ताओं को कवर करती हैं (यानी, 4271 वितरकों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले 4.06 करोड़ उपभोक्ताओं वाली भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा 4167 वितरकों द्वारा सेवा प्रदान किए गए 4.29 करोड़ उपभोक्ताओं वाली हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल))। कुल 16.17 करोड़ घरेलु एलपीजी उपभोक्ताओं में से 10.63 प्रतिशत योजना में सम्मिलित नहीं हुए तथा नॉन कैश ट्रांसफर कंपलाइंट (एनसीटीसी) उपभोक्ताओं के रूप में नामित किए गए थे। (31 अक्टूबर 2015) 14.45 करोड़ सीटीसी उपभोक्ताओं में से 8.50 करोड़ (59 प्रतिशत) सीटीसी उपभोक्ताओं (एसीटीसी उपभोक्ता) थे। शेष 5.95 करोड़ आधार अनुवर्ति उपभोक्ताओं (41 प्रतिशत) ने केवल बैंक खाता ब्यौरे प्रस्तुत किए थे तथा बीसीटीसी उपभोक्ता थे (31 अक्टूबर 2015)।

2.8 पहल (डीबीटीएल) योजना कार्यान्यन के लिए आईटी सिस्टम

तीन ओएमसीज (आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल) के पास पहल (डीबीटीएल) योजना के कार्यान्वयन के लिए पृथक आईटी सिस्टम तथा आईटी संरचना थी। आईओसीएल तथा एचपीसीएल के पास एक विकेन्द्रीकृत सर्वर संरचना, वितरकों की ओर से एक सर्वर तथा ओएमसी के साथ एक केन्द्रीय सर्वर था। आईओसीएल के वितरक सर्वरों पर प्रयोग किया गया सॉफ्टवेयर इंडसॉफ्ट है जबकि एचपीसीएल द्वारा प्रयोग किया गया सॉफ्टवेयर वितरण तथा उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (डीसीएमएस) है। प्रत्येक वितरक उसके वितरण अधिकार से संबंधित उपभोक्ता डाटाबेस को बनाता/बनाती है तथा विशिष्ट सॉफ्टवेयर प्रणाली (आईओसीएल के लिए इंडसॉफ्ट तथा एचपीसीएल के लिए डीसीएमएस) पर सचालित सर्वर पर लेन देनों को पूरा करती है।

आईओसीएल के मामले में, कोई भी उपभोक्ता बनाने/बदलने के अनुरोध उपभोक्ता अनुरोध के आधार पर वितरक परिसर में प्राप्त किये जाते हैं और ऐसे अनुरोध निष्पादन हेतु केन्द्रीय सर्वर में आगे भेजे जाते हैं। केन्द्रीय सर्वर ऐसे अनुरोधों को प्रमाणित करता है व्यावसायिक तर्क के आधार पर उनका निष्पादन करता है और पहले केन्द्रीय सर्वर में उपभोक्ता का डाटा बनाता/बदलता है। इसके बाद, पारिवर्तन अनुरोध निष्पादन स्थिति सहित वितरक सॉफ्टवेयर में वापस प्रसारित किये जाते हैं। यह तंत्र वितरक स्तर पर उपभोक्ता डाटाबेस में कोई भी

अनाधिकृत परिवर्तन न होना सुनिश्चित करता है और केन्द्रीय सर्वर के पास हमेशा उपभोक्ता विवरण बनाने/परिवर्तन पर पहली सूचना होती है। वितरक की ओर से लेन-देन का डेटा आवधिक अंतरालों पर केन्द्रीय सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है।

एचपीसीएल के मामले में, कोई भी उपभोक्ता बनाने/बदलने के अनुरोध उपभोक्ता अनुरोध के आधार पर वितरक परिसर में प्राप्त किये जाते हैं और कार्यवाही स्थानीय डीसीएसएम प्रणाली में की जाती है। आवधिक रूप से, अनुरोध केन्द्रीय सर्वर में सिंक्रोनाइज होता है। इस प्रक्रिया के अनुसार, सभी परिवर्तन वितरक स्तर पर उपभोक्ता डाटाबेस में किये जाते हैं और फिर डाटा आवधिक आधार पर केन्द्रीय सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। केन्द्रीय सर्वर को लेन-देन के संचयन के लिये और विभिन्न आवधिक और एमआइएस रिपोर्ट बनाने के लिये प्रयोग किया जाता है।

दूसरी ओर, बीपीसीएल के पास एकल एकीकृत केन्द्रीय सर्वर है जो एलपीजी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पर कार्य करता है और वास्तविक समय आधार पर वितरक के दैनिक लेन-देन के अभिलेख के साथ-साथ उपभोक्ता मुख्य डाटा का रखरखाव करता है।

2.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

यह नोट किया जा सकता है कि आपत्तियों में उजागार किये गये डाटा में अनियमितता का महत्व जुडे हुये मामलों की संख्या या राशि के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं हो सकते जब लेखापरीक्षा में जांच किये गये नमूना आकार से तुलना की जाये। तथापि, निष्कर्षों को योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा दर्शाने और प्रणाली योजना से कुछ प्राप्त करने की सीमा दर्शाने और प्रणाली योजना से कुछ अनियमितताओं को उजागर करने के लिये प्रतिवेदित किया गया है ताकि योजना और प्रणाली को एलपीजी उपभोक्ताओं को और भी अच्छी सेवा देने के लिये सुसंगत बनाया जा सके। लेखापरीक्षा की राय है कि केवल डाटा प्रसंस्करण या प्रबंधन या फ्रेमवर्क जिसके अंतर्गत वो क्रियान्वित किया गया हो में अनियमितता होने के कारण पहल (डीबीटीएल) योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा और कलयाण के कार्य में किसी भी लाभार्थी को उसका उचित लाभ देने से इंकार नहीं किया जाना चाहिये।

पहल (डीबीटीएल) योजना के प्रत्येक उद्देश्य पर लेखापरीक्षा निषकर्ष निम्नलिखित अध्यायों के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये हैं।

अध्याय 3: विपथन हेतु प्रोत्साहन हटाना

अध्याय 4: जाली/दोहरे कनेक्शन को समाप्त करना

अध्याय 5: वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सिलेंडरों का वितरण

अध्याय 6: हकदारी का संरक्षण और सब्सिडी सुनिश्चित करना

अध्याय 7: सब्सिडी का स्व-चयन

अध्याय 8: अन्य मुद्दे

अध्याय 9: पहल (डीबीटीएल) योजना के माध्यम से सब्सिडी में बचत

अध्याय 10: निष्कर्ष एवं सिफारिशें